विचार बिन्दु

बुद्धि से विचार कर किए गए कर्म ही सफल होते हैं। –महाभारत

सरकार की समस्या पैसे की कमी नहीं, अपितु उसका अपव्यय है

किसी भी लोकतंत्र में कल्याणकारी राज्य का पहला दायित्व होता है कि वह जनता की बेहतरी के लिए कार्य करे, क्योंकि वही शासन में लोगों को बिठाती है। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में जब भी सरकार का प्रावधान बढ़ाने की बात होती है तो एक ही बहाना दिया जाता है कि सरकार के पास पैसे की कमी है। उल्लेखनीय है कि कई दशकों से जी डी पी का कम से कम 6 प्रतिशत प्रावधान शिक्षा के लिए करने की बात की जा रही है किंतु यह अब भी 3-4 प्रतिशत से आगे नहीं बढ़ पा रहा है।

सरकार विभिन्न योजनाओं के लिए विदेशी कर्ज लेने में लगी है। वर्तमान एनडीए सरकार जब 2014 में सत्ता में आई तो देश के ऊपर कुल कर्ज लगभग 55 लाख करोड़ था, जो 2024 में बढ़कर 200 लाख करोड़ हो गया। इसका मतलब यह कि 10 साल में देश पर ऋण तीन गुणा से भी अधिक हो गया।कर्ज लेने का एक ही कारण बताया जाता है कि देश की आय बहुत कम है और सरकार के पास आय के पर्याप्त स्त्रोत नहीं हैं।

इस लेख में हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि क्या वास्तव में सरकार के पास पैसे की कमी है या सरकार की प्राथमिकताएं गलत हैं और वह अनावश्यक कामों पर अनाप शनाप पैसा खर्च कर रही है ? इसके कुछ उदाहरण निम्न हैं।

पहले हम जयपुर की ही बात करते हैं। कुछ वर्षों में जयपुर में ऐसे फ्लाईओवर बनाए गए जो काम नहीं आ रहे हैं, ऐसे अंडरपास बनाए गए जो आसामाजिक तत्वों के लिए ही काम आ रहे हैं, ऐसे फुट ओवर ब्रिज बनाए गए जिन का उपयोग नगण्य है। ताजा उदाहरण जो आजकल मीडिया में छाया हुआ है, वह खासा कोठी के पास बने फ्लाईओवर का है। यह फ्लाईओवर एम आई रोड से कलेक्ट्रेट की तरफ बनना था किंतु उसे कुछ स्वार्थी तत्वों के दबाव में स्टेशन से पोलो विक्ट्री की तरफ बना दिया गया। इस फ्लाईओवर पर वर्तमान में ट्रैफिक का 10 प्रतिशत भी होकर नहीं निकलता है और फ्लाईओवर के नीचे वाली सड़कों पर लगातार जाम लगा रहता है। जिस भी व्यक्ति ने इस फ्लाईओवर की अनुमति दी, क्या उस के ऊपर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्या उस पर आपराधिक मुकदमा नहीं चलना चाहिए? सरकार के पैसे को इस प्रकार निरर्थक काम पर खर्च करना, क्या अपराध नहीं कहा जाएगा?

लगभग 20-25 वर्ष पूर्व अजमेरी गेट पर एक अंडर पास बनाया गया, जिस पर लाखों रुपए खर्च हुए। उसे शायद ही किसी ने काम में लिया होगा और यह आसामाजिक तत्वों का अड्डा बन कर रह गया है। कोई शरीफ व्यक्ति तो इसमें उतरने का साहस ही नहीं कर सकता। इस अनुभव के बावजूद जयपुर विकास प्राधिकरण ने दो अंडर पास जवाहर सर्कल पर और बना दिए जो आज तक बिना उपयोग के वैसे ही पड़े हैं। इनके लिए किसी पर कार्यवाही या वसूली की बात नहीं हुई।

जयपुर के 14125 सरकारी विद्यालयों के लिए 18135 स्मार्ट बोर्ड, 350 करोड़ रुपए में खरीदे गए। इनमें से अधिकांश बिजली की नियमित आपूर्ति नहीं होने, इंटरनेट कनेक्शन नहीं होने और अन्य आधारभूत सुविधाएं न होने के कारण कपड़े से ढककर रखे हुए हैं ताकि उन पर धूल न लगे। विद्यालयों के लिए करोड़ों रुपए के स्मार्ट बोर्ड खरीद लिए लेकिन प्रशिक्षित अध्यापकों के अभाव और बिजली कनेक्शन नहीं होने के कारण ये अनुपयोगी पड़े हैं। इस प्रकार बिना तैयारी के की गई इस खरीद के कारण 350 करोड़ रुपए व्यर्थ हो गए हैं।इस बारे में मीडिया में प्रमुख समाचार भी प्रकाशित हुए हैं।

जयपुर के गांधी सर्किल के पास पोद्दार विद्यालय के परिसर में पांच सितारा होटल की तरह बना "महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट आफ सोशल साइंसेज एंड गुड गवर्नेंस" लगभग दो वर्षों से अनुपयोगी पड़ा है। कारण शायद यही कि इसे पिछली सरकार ने बनवाया था। आज तक इसमें कोई काम कभी प्रारंभ नहीं हुआ और संभव है कुछ समय बाद यह खंडहर में परिवर्तित हो जाय। यह सारे खर्चे उस राज्य में किए गए जहां किसी भी अनिवार्य कार्य के लिए पैसे की कमी का रोना रोया जाता है एवं अनावश्यक रूप से विदेशी कर्ज भी लिया जाता है।

सरकार बहुत बड़ी राशि विज्ञापनों पर व्यय करती है। प्रतिदिन, शुरू के चार पांच पृष्ठ विज्ञापनों को समर्पित होते है। इनका उद्देश्य केवल प्रधान मंत्री, मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों के चित्र जनता को दिखाना है। इसी विज्ञापन के लोभ में समाचार पत्र सरकार का गुणगान करते दिखते हैं।

केवल उत्तर प्रदेश राज्य में मुख्यमंत्री योगी का चेहरा दिखाने के लिए प्रतिदिन लगभग ढाई करोड रुपए विज्ञापनों पर खर्च होते हैं। इसमें से 70 प्रतिशत खर्चा केवल अखबारों के विज्ञापनों पर है। इस मामले में वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी एक कदम आगे हैं, जो अपने विज्ञापनों पर प्रतिदिन डेढ़ करोड़ रुपए खर्च करते हैं। इन विज्ञापनों से किसको क्या लाभ होता है, यह तो नहीं पता, किंतु इससे जनता के हजारों करोड रुपए अवश्य बर्बाद हो जाते हैं।यह पैसा देश के नागरिकों के खून पसीने की कमाई से टैक्स के रूप में वसूल किया जाता है।

टोंक रोड पर एलिवेटेड रोड का काम और न्यू सांगानेर रोड तथा सीकर रोड पर बीआरटीएस का काम करोड़ों रुपए खर्च करके किया गया और यह बरसों तक अनुपयोगी पड़ा रहा। यह कभी काम नहीं आया। बाद में इसे तोड़ने का निर्णय लिया गया।शायद इसको तोड़ने पर भी करोड़ों रुपए खर्च हुए होंगे। यह जानकारी आज तक नहीं है कि क्या सरकारी धन के करोड़ों रुपए के अपव्यय के लिए किसी अधिकारी को जेल भेजा गया, उससे वसूली की गई या उसके विरुद्ध को दंडात्मक कार्रवाई की गई? हाउसिंग बोर्ड ने लगभग 500 करोड़ की लागत से तीन साल पहले कोचिंग हब, प्रतापनगर में बनाया लेकिन अभी भी कोचिंग संस्थान यहां शिफ्ट नहीं हुए हैं और गोपालपुरा बाई पास पर ही चल रहे हैं।

यही हाल हीरापुरा बसस्टैंड का है जिस पार 300 करोड़ से अधिक खर्च हुआ। अब भी सारी बसें पोलो विक्ट्री के आस-पास खडी रहती हैं। इस प्रकार करोड़ों रुपए बेकार हो गए।

सरकारी धन का दुरुपयोग अनवरत रूप से इसीलिए चलता रहता है कि इसके लिए ज़िम्मेदार अधिकारियों पर कोई कार्यवाही नहीं होती। उनका प्रमोशन होता रहता है और तनख्वाह भी बढ़ती रहती है। यह सारा पैसा देश की आम जनता के खून पसीने की कमाई से वसूल किए गए टैक्स से खर्च होता है।

यदि सरकार की जवाबदेही निर्धारित की जाएगी तो स्वतः सरकारी पैसे के अपव्यय पर नियंत्रण हो जाएगा। इस प्रकार जो लाखों करोड़ रुपए बचेंगे, उससे सबके लिए अच्छे सरकारी विद्यालय और अस्पताल बनाए जा सकेंगे। कहा जाता है कि बिजली की बचत ही उसका उत्पादन है। वैसे ही सरकारी धन के अपव्यय को रोकना, आय बढ़ाने जैसा है।

शिक्षा का हाल तो और बेहाल है। शिक्षा पर करोड़ों रुपए अनावश्यक रूप से कई योजनाओं के नाम से खर्च हो रहे हैं। एक सरकारी विद्यालय की सातवीं क्लास के बच्चों को '505' लिखने के लिए कहा गया तो लगभग सबने '5005' लिखा। सरकारी स्कूल के एक बच्चे पर औसतन 2500 रुपए प्रति माह यानी 30000 रुपए साल का खर्चा होता है। उसकी 6 साल की पढाई पर 1.80 लाख खर्च करने के बाद यदि वह '505' तक सही नहीं लिख पाए तो क्या इसे धन का अपव्यय नहीं माना जाएगा? इसके लिए सजा किसी को क्यों नहीं मिलती? जवाब देही का अभाव हमारी शासन व्यवस्था की सबसे बडी कमजोरी है। यह समस्या और भी विकराल रूप धारण कर लेती है जब साधन संसाधनों की कमी का रोना हर समय रोया जाता है और जो धन उपलब्ध है उसका सदुपयोग नहीं होता।

कुछ ही दिन पहले एक समाचार प्रकाशित हुआ था कि सैकडों एंबुलेंस चिकित्सा विभाग में पड़ी हुई थी और उनका उपयोग प्रारंभ नहीं हुआ था। अस्पतालों में करोड़ों रुपए की जांच मशीनें और उपकरण बिना उपयोग के लंबे समय तक धूल फांकती रहती हैं क्योंकि उन्हें चलाने वाला नहीं है। दूसरी ओर बिजली आपूर्ति बंद होने से मोबाइल की रोशनी में ऑपरेशन करने पड़ते हैं। एस एम एस अस्पताल में 700 करोड़ रुपए की लागत से 22 मंजिला आई पी डी टॉवर बनाया गया लेकिन पार्किंग का कोई ध्यान नहीं रखा गया। यह भवन निर्माण का यह मूल सिद्धांत भी इतने महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट में भूल गए? क्या किसी को इस के लिए दोषी ठहराया जा कर सजा नहीं मिलनी चाहिए? यही हाल सरकारी स्कूलों में सरकार द्वारा करोड़ों रुपए के कंप्यूटरों का हो रहा है।क्या सरकार एक छोटा सा काम नहीं कर सकती कि वह आधुनिकतम महंगी सामग्री खरीदने से पहले, यह तो सुनिश्चित कर ले कि उनको काम में लेने वाला प्रशिक्षित स्टाफ है भी या नहीं? जिन विद्यालयों में बिजली नहीं हो, वहां कंप्यूटर और स्मार्ट बोर्ड खरीद कर हम किसका भला कर रहे हैं ?

सरकारी धन का बहुत दुरुपयोग सांसद और विधायक विकास निधि के नाम पर भी होता है। इसके अंतर्गत प्रत्येक सांसद और विधायक को 5 करोड़ रुपए प्रति वर्ष का आवंटन होता है। देश में कुल 800 सांसद और लगभग 4000 विधायक हैं। इसका अर्थ हुआ कि देश में इस मद पर प्रति वर्ष कुल लगभग 23000 करोड़ रुपए का प्रावधान है। यह पांच साल में एक लाख करोड़ से भी अधिक हो जाता है। हमने देखा है कि कैसे सांसद और विधायक इसमें स्वीकृति से पहले ही 30-40 प्रतिशत कमीशन ले लेते हैं। इसे समाप्त क्यों नहीं किया जा सकता? आवश्यक काम संबंधित विभाग के माध्यम से क्यों नहीं कराए जा सकते?

जनता के पैसे को कैसे धुँआ लगाया जाता है, इसका एक नवीनतम उदाहरण उत्तरप्रदेश सरकार के निर्णय से सामने आया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने कमल की आकृति का नया विधानसभा भवन बनाने का निर्णय लिया, जिस पर 3000 करोड़ रुपए से अधिक का व्यय होगा। यह मात्र संयोग नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह भी कमल है। भारत सरकार पहले ही 20000 करोड़ रुपए सेंट्रल स्पाइन के नाम पर खर्च कर चुकी है, जिसमें संसद का नया भवन भी शामिल है। जहां पहले ही इतना अपव्यय हो रहा है, वहीं परिसीमन के नाम पर लोक सभा सदस्यों की संख्या 543 से बढ़ाकर 830 करने का प्रयास किया जा रहा है। इससे हजारों करोड का अतिरिक्त बोझ जनता पर पड़ेगा। कोई उद्देश्यपूर्ण चर्चा तो वैसे भी आजकल संसद में होती ही नहीं, क्योंकि अधिकांश समय हंगामे में ही निकलता है।

दिल्ली और राज्यों की राजधानियों में अत्यंत कीमती भूमि पर हजारों वर्ग मीटर में आलीशान बंगले बने हुए हैं। क्या हमारे मंत्री छोटे मकानों या फ्लैट में नहीं रह सकते? सही बात तो यह है कि जन प्रतिनिधि और अधिकारी, जनता को मालिक के बजाय प्रजा या गुलाम ही मानकर चलते हैं। यदि ऐसा नहीं होता, तो उसके धन का इतना अपव्यय करने वाले सेवक (सरकार) को मालिक (जनता) कभी का बाहर नहीं निकाल देता?

सरकार द्वारा धन के दुरुपयोग का एक और मामला लोगों को तीर्थयात्रा पर भेजना है। कई बार इन्हें हवाई जहाज से भेजा जाता है और होटलों में ठहराया जाता है। राजस्थान सरकार ने इस हेतु 150 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा है? क्या जनता के लिए 'पुण्य' अर्जित करने का ठेका भी सरकार ने ले लिया है? इस विचित्र निर्णय का कोई औचित्य नहीं है।

यदि सरकार की जवाबदेही निर्धारित की जाएगी तो स्वत: सरकारी पैसे के अपव्यय पर नियंत्रण हो जाएगा। इस प्रकार जो लाखों करोड़ रुपए बचेंगे, उससे सबके लिए अच्छे सरकारी विद्यालय और अस्पताल बनाए जा सकेंगे। कहा जाता है कि बिजली की बचत ही उसका उत्पादन है। वैसे ही सरकारी धन के अपव्यय को रोकना, आय बढ़ाने जैसा है। यह कहने की आवश्यकता नहीं कि सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता सभी के लिए उत्कृष्ट शिक्षा और स्वास्थ्य की व्यवस्था करना है न कि उसे निजी हाथों में सौंपना है, जिनका मुख्य उद्देश्य ही लाभ कमाना है। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में निजीकरण को बढ़ावा देकर सरकारों ने अच्छी शिक्षा से गरीबों को वंचित कर दिया है।

आशा की जानी चाहिए कि सक्रिय नागरिको के समूह, सरकार पर अंकुश लगाने का काम करेंगे ताकि सरकारी धन के अपव्यय को रोका जा सके। कॉकरोच जनता पार्टी इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है, यदि वह चुनावी राजनीति न करे और केवल जनता के पैसे से सरकार द्वारा किए जाने वाले खर्चे पर निगरानी रख सके।

सरकारी धन को दुरुपयोग या उसका अपव्यय करने वाले अधिकारी और मंत्री की जिम्मेदारी तय करके उस पर आपराधिक कार्यवाही हेतु एफ आई दर्ज की जाकर उसे जेल भेजा जाना होगा। न्यायालयों को भी ऐसे प्रकरणों का शीघ्र निर्णय करना होगा। दोषी अधिकारियों/मंत्रियों से, अपव्यय होने वाली राशि वसूल करनी होगी। ऐसी सभी गतिविधियों पर खर्चा बंद करना होगा जो व्यक्तिगत छवि बनाने के लिए होता है।

–अतिथि सम्पादक,
राजेन्द्र भाणावत
(पूर्व आई.ए.एस. अधिकारी)

श्रीअरविंद: राष्ट्रवाद के पैगम्बर और मानवता के प्रेमी

सूर्यप्रतापसिंह राजावत

"वे केवल इस न्यायालय के कटघरे में नहीं खड़े हैं, बल्कि इतिहास के उच्च न्यायालय के समक्ष खड़े हैं।" ये अमर शब्द देशबंधु चित्तरंजन दास ने अलीपुर बम षड्यंत्र मुकदमे (1908-1909) में महर्षि अरविंद की पैरवी करते हुए कहे थे। उन्होंने न्यायालय से आग्रह किया कि वह तत्कालीन आरोपों से ऊपर उठकर उस महान व्यक्तित्व को पहचाने, जो भविष्य में भारत और विश्व के लिए प्रेरणा बनेगा।

उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि जब उस समय के सभी राजनीतिक विवाद और आंदोलन इतिहास बन जाएंगे, तब महर्षि अरविंद को "देशभक्ति के कवि, राष्ट्रवाद के पैगम्बर और मानवता के प्रेमी" के रूप में स्मरण किया जाएगा। एक शताब्दी से अधिक समय बाद इतिहास ने उनकी इस भविष्यवाणी को सत्य सिद्ध कर दिया है। (सी.आर. दास का जीवन और समय, पृष्ठ 49)

15 अगस्त 1872 को कोलकाता में जन्मे महर्षि अरविंद का जीवन भारत के राष्ट्रीय जागरण का पर्याय है। उनके जन्मदिवस का महत्व उस समय और बढ़ गया जब 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ। इस प्रकार 15 अगस्त केवल भारत का स्वतंत्रता दिवस ही नहीं, बल्कि महर्षि अरविंद की जयंती भी है। यह ऐतिहासिक संयोग भारत के स्वतंत्र और गौरवशाली भविष्य की उनकी आजीवन साधना का प्रतीक माना जाता है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में महर्षि अरविंद का स्थान अत्यंत विशिष्ट है।

जब अधिकांश राष्ट्रीय नेता ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर सीमित सुधारों की मांग कर रहे थे, तब महर्षि अरविंद ने सबसे पहले पूर्ण स्वराज का स्पष्ट और निर्भीक उद्घोष किया। वंदे मातरम् और कर्मयोगिन जैसे समाचार-पत्रों के माध्यम से उन्होंने भारतीयों में पूर्ण स्वतंत्रता की चेतना जगाई। उनके क्रांतिकारी विचारों और निर्भीक राष्ट्रवाद से भयभीत होकर ब्रिटिश शासन ने उन्हें "भारत का सबसे खतरनाक व्यक्ति" कहा।

महर्षि अरविंद के तीन 'पागलपन' थे- अपनी समस्त प्रतिभा और संपत्ति ईश्वर को समर्पित करना, ईश्वर का प्रत्यक्ष साक्षात्कार करना, तथा भारत माता को दिव्य माता मानकर उनकी नि:स्वार्थ सेवा और मुक्ति के लिए जीवन अर्पित करना। (उत्तरयोगी महर्षि अरविन्द - शिव प्रसाद सिंह पृष्ठ 79)

महर्षि अरविंद का एक महत्वपूर्ण योगदान निष्क्रिय प्रतिरोध का सिद्धांत था। खंड 06-07 पृष्ठ 263) उन्होंने स्वदेशी, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा और असहयोग को विदेशी शासन के विरुद्ध प्रभावी साधन बताया। बाद में यही सिद्धांत भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख आधार बने। यद्यपि 1910 के बाद उन्होंने सक्रिय राजनीति से स्वयं को अलग कर आध्यात्मिक साधना का मार्ग अपनाया, फिर भी उनके राजनीतिक विचारों ने आने वाली पीढ़ियों को निरंतर प्रेरित किया।

अलीपुर बम षड्यंत्र मुकदमा उनके जीवन का निर्णायक मोड़ सिद्ध हुआ। लगभग एक वर्ष के कारावास के दौरान उन्हें गहन आध्यात्मिक अनुभूतियाँ हुईं, जिन्होंने उनके जीवन की दिशा बदल दी।

मुकदमे से बरी होने के बाद उन्होंने 1909 में ऐतिहासिक उत्तरपाड़ा भाषण दिया। इस भाषण में उन्होंने स्पष्ट किया कि भारत की स्वतंत्रता केवल राजनीतिक उद्देश्य नहीं है, बल्कि उसका संबंध भारत के आध्यात्मिक दायित्व से भी है। उन्होंने सनातन धर्म को किसी संकीर्ण संप्रदाय का धर्म नहीं, बल्कि समस्त मानवता के लिए एक शाश्वत और सार्वभौमिक जीवन-दर्शन बताया। (खंड 8 पृष्ठ 3)

महर्षि अरविंद केवल राष्ट्रवादी नेता ही नहीं, बल्कि महान कवि, दार्शनिक और आध्यात्मिक चिंतक भी थे। उनका महाकाव्य सावित्री आधुनिक युग का 'वेद' माना जाता है। उनकी प्रसिद्ध दार्शनिक कृति द लाइफ डिवाइन में मानवता के भविष्य के लिए सुप्रामेंटल परिवर्तन का सिद्धांत प्रस्तुत किया गया है। भारत की स्वतंत्रता के दिन, 15 अगस्त 1947, महर्षि अरविंद ने अपना प्रसिद्ध स्वतंत्रता संदेश दिया, जिसे उनके 'पाँच स्वप्न' के नाम से जाना जाता है। इन पाँच स्वप्नों में भारत की पूर्ण एकता, एशिया का पुनर्जागरण, विश्व संघ की स्थापना, मानवता के लिए भारत का आध्यात्मिक योगदान तथा उच्चतर मानव चेतना का विकास सम्मिलित था। आज भी उनका यह संदेश विश्व शांति, सहयोग और मानव कल्याण के लिए अत्यंत प्रासंगिक है।(खंड 36 पृष्ठ 474)

महर्षि अरविंद का आध्यात्मिक राष्ट्रवाद उनकी मौलिक देन है। उनके अनुसार सच्चा राष्ट्रवाद कभी भी संकीर्णता, घृणा या विस्तारवाद का समर्थक नहीं हो सकता। प्रत्येक राष्ट्र का मानवता की उन्नति में एक विशिष्ट योगदान होता है। भारत का दायित्व अपनी आध्यात्मिक परंपरा के माध्यम से विश्व को शांति, सह-अस्तित्व और मानव एकता का संदेश देना है। इस प्रकार उनका राष्ट्रवाद अंततः अंतरराष्ट्रीयता और विश्व-बंधुत्व का आधार बन जाता है। उनकी इसी महान दृष्टि को मूर्त रूप देने के लिए ऑरोविल की स्थापना की गई, जहाँ विभिन्न देशों, धर्मों और संस्कृतियों के लोग मानव एकता की भावना के साथ रहते हैं। श्रीअरविंदके इस आदर्श को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अनेक अवसरों पर समर्थन और मान्यता प्राप्त हुई, जो उनकी वैश्विक प्रासंगिकता का प्रमाण है।

महर्षि अरविंद का जीवन केवल भारत के स्वतंत्रता संग्राम तक सीमित नहीं है। वे एक महान क्रांतिकारी, दूरदर्शी राष्ट्रवादी, अद्वितीय दार्शनिक, महाकवि और आध्यात्मिक महर्षि थे। उन्होंने सिखाया कि राजनीतिक स्वतंत्रता तभी सार्थक है जब उसके साथ नैतिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक उत्थान भी हो। जैसा कि देशबंधु सी. आर. दास ने कहा था, महर्षि अरविंद इतिहास में सदैव "देशभक्ति के कवि, राष्ट्रवाद के पैगम्बर और मानवता के प्रेमी" के रूप में स्मरण किए जाएंगे। इसलिए प्रत्येक 15 अगस्त को जब भारत अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है, तब वह उस महान ऋषि को भी श्रद्धापूर्वक नमन करता है, जिसने स्वतंत्र भारत ही नहीं, बल्कि समस्त मानवता के उज्ज्वल भविष्य का स्वप्न देखा।

–सूर्यप्रतापसिंह राजावत,
उपाध्यक्ष श्रीअरविन्द सोसाइटी राजस्थान।

संवैधानिक प्रतिनिधित्व : क्यों जरूरी है एससी/एसटी/ओबीसी और ईडब्ल्यूएस दोनों ?

मदन सिंह काला

आज आरक्षण की बहस दो ध्रुवों पर टिकी है - 'सामाजिक' और 'आर्थिक'। 2019 में संविधान संशोधन से सामान्य वर्ग के गरीबों के लिए 10 प्रतिशत EWS आरक्षण दिया गया। इसका मकसद साफ है - कोई बच्चा सिर्फ फीस न दे पाने के कारण डॉक्टर, इंजीनियर या सरकारी नौकरी के सपने से वंचित न रहे। इसे कह सकते हैं "भविष्य को सुरक्षित करने वाला आरक्षण"। इसके ठीक सामने एससी, एसटी और ओबीसी का आरक्षण है। इसका मकसद भविष्य नहीं, अतीत का हिसाब बराबर करना है। यह उस 3000 साल की वंचना का उत्तर है जो शूद्र और अति-शूद्र वर्ग ने झेली। दोनों आरक्षण जरूरी हैं, पर दोनों की आत्मा अलग है। एक गरीबी मिटाता है, दूसरा अपमान मिटाता है।

क्या सदियों से भारत में जन्म-आधारित जाति तंत्र रहा है? हां। और क्या उसे संवैधानिक जनतंत्र की दिशा में ले जाने के लिए ये आरक्षण प्रगतिशील कदम हैं? बिल्कुल हैं। यही भारत की सबसे बड़ी प्रगतिशीलता है।

दुनिया के किसी और देश ने इतने बड़े पैमाने पर जन्म के आधार पर बनी असमानता को कानून और प्रतिनिधित्व से तोड़ने की कोशिश नहीं की। हमने संविधान के जरिए कहा कि अब पद, पैसा और सम्मान जन्म से नहीं, बल्कि योग्यता और अवसर से तय होगा। आरक्षण उसी यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव है।

दुनिया में भारत अकेला नहीं है जिसने 'सकारात्मक कार्रवाई' अपनाई। अमेरिका में गुलामी 1865 में खत्म हुई, पर 1961 में राष्ट्रपति कैनेडी को "Affirmative Action का आदेश लाना पड़ा ताकि अश्वेतों को शिक्षा और नौकरी में बराबर मौका मिले। दक्षिण अफ्रीका में 1994 में रंगभेद खत्म हुआ और 2003 में "Black Economic Empowerment Act" बना। मलेशिया में 1971 से "Bumiputera Policy" के तहत बहुसंख्यक मलय समुदाय को विश्वविद्यालय और सरकारी नौकरी में आरक्षण मिला। हर जगह तर्क एक ही था - सदियों का नुकसान सिर्फ कानून बना देने से ठीक नहीं होता, उसे व्यवहार में उतारने से प्रगति होती है।

भारत में आरक्षण की शुरुआत 1950 के संविधान से नहीं हुई। इसकी नींव 19वीं सदी में प्रगतिशील राजाओं ने रखी। 26 जुलाई 1902 को कोल्हापुर के छत्रपति शाहू महाराज ने सरकारी नौकरियों में 50 प्रतिशत आरक्षण गैर-ब्राह्मणों और पिछड़ों के लिए लागू किया। साथ में मुफ्त शिक्षा और छात्रावास शुरू किए। उनका नारा था 'शिक्षा ही मुक्ति है'। बड़ौदा के महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ ने दलितों और पिछड़ों के लिए छात्रवृत्ति दी। डॉ. बी.आर. अंबेडकर को अमेरिका पढ़ने भेजने वाले भी वही थे। 1936 में त्रावणकोर में नारायण गुरु के आंदोलन के बाद ईझवा समाज को मंदिर प्रवेश और नौकरी में जगह मिली। मैसूर और इंदौर जैसी रियासतों में भी 1920-30 में पिछड़ों के लिए कोटा था। इन सबने माना कि बिना प्रतिनिधित्व के बराबरी संभव नहीं। इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए डॉ. अंबेडकर ने पंचम वर्ण को मानवीय गरिमा दिलाने के लिए संघर्ष किया। उसी के परिणाम स्वरूप 1932 के 'पूना पैक्ट' और 1935 के "Government of India Act" में इन ऐतिहासिक पीड़ाओं के समाधान के रास्ते तय हुए और फिर संविधान में जगह मिली।

भारत का घाव दुनिया से गहरा है क्योंकि यहां वंचना का आधार जन्म था। समाज ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में बंटा। इनके बाहर 'अतिशूद्र' थे। बाबू जगजीवन राम ने कहा था- "ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य में ही शिक्षा, धन और सामाजिक नियंत्रण के अधिकार थे।" इसी एकाधिकार के कारण शूद्र और अतिशूद्र के लिए गुरुकुल बंद थे। वेद पढ़ना, व्यापार करना, हथियार रखना मना था। मंदिर, कुएं, पंचायत सब दूर थे। शिक्षा, संपत्ति और सम्मान तीनों से उन्हें बाहर रखा गया। 1947 में सत्ता उसी वर्ग के हाथ आई जिसके पास पहले से कलम थी। बाबू जगजीवन राम ने तब चेताया था- "भारत में जनतंत्र नहीं, जाति-तंत्र है।" इसी हकीकत के कारण संविधान निर्माताओं ने प्रतिनिधित्व को अनिवार्य माना। इसीलिए संविधान ने दो तरह का इलाज दिया। पहला इलाज ऐतिहासिक-सामाजिक असमानता के लिए। अनुच्छेद 330 और 332 के तहत लोकसभा में एससी के लिए 84 और एसटी के लिए 47 सीटें आरक्षित हैं। 104वें संशोधन 2019 से यह व्यवस्था 2030 तक बढ़ी है ताकि कानून बनाने में वंचित वर्ग की आवाज रहे। अनुच्छेद 15(4), 15(5) और 16(4) के तहत शिक्षा और सरकारी नौकरियों में प्रतिनिधित्व दिया गया। 1992 के इंद्रा साहनी फैसले में इसकी सीमा 50 प्रतिशत तय हुई ताकि बाकी 50 प्रतिशत पर खुली प्रतिस्पर्धा बनी रहे। दूसरा इलाज आर्थिक असमानता के लिए है। 103वें संशोधन से अनुच्छेद 15(6) और 16(6) के जरिए सामान्य वर्ग के गरीबों को आय और संपत्ति के आधार पर 10 प्रतिशत ईडब्ल्यूएस आरक्षण मिला।

यहां यह समझना जरूरी है कि SC/ST/OBC और EWS का आधार एक जैसा नहीं है। अनुसूचित जाति को आरक्षण मिला "सामाजिक भेदभाव और छुआछूत" के कारण। हजारों साल तक इन्हें पशुओं से भी बदतर माना गया। आज भी गांवों में स्थिति बहुत नहीं बदली। कानून का डर है इसलिए घटनाएं कम हैं, पर मानसिकता वही है। बच्चे को घर से ही सिखा दिया जाता है कि "ये लोग बराबर नहीं हैं, इनके पूर्वज गंदा काम करते थे"। यह जहर बचपन से दिमाग में भर दिया जाता है। ऐसी स्थिति में अगर आरक्षण आज खत्म कर दिया जाए तो आरक्षित वर्गों में से गिने-चुने लोग ही सरकारी सेवा या राजनीति में पहुंच पाएंगे। इसलिए जब तक समाज में सामाजिक भेदभाव पूरी तरह खत्म नहीं होता, संविधान प्रदत्त आरक्षण जारी रहना चाहिए। जनजाति का आरक्षण अलग कारण से है। समाज सामाजिक रूप से पिछड़ा रहा और जंगल, पहाड़ व दूरदराज में रहने के कारण मुख्यधारा से कट गया। घुमंतू जीवन और अलग संस्कृति के कारण शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसर उन तक नहीं पहुंचे।

ओबीसी की कहानी तीसरी है। ओबीसी के साथ एससी जैसी छुआछूत या एसटी जैसा भौगोलिक अलगाव नहीं रहा। लेकिन हजारों साल तक इन्हें पेशे के आधार पर नीचा माना गया। बढ़ई, कुम्हार, लुहार, तेली, यादव, जाट आदि अपने पारंपरिक काम के कारण सामाजिक सीढ़ी में नीचे रहे। चूंकि एससी वाली छुआछूत और एसटी वाला अलगाव नहीं था, इसलिए ओबीसी के आरक्षण में "सामाजिक पिछड़ापन और आर्थिक पिछड़ापन" दोनों को आधार बनाया गया।

अक्सर एक भ्रम फैलाया जाता है कि "आरक्षण वाले हमारी सीट छीन रहे हैं"। हकीकत यह है कि सरकारी नौकरी और उच्च शिक्षा में 50.5 प्रतिशत सीटें अनारक्षित हैं। 49.5 प्रतिशत सीटें एससी, एसटी, ओबीसी के लिए आरक्षित हैं। एससी की सीट पर सिर्फ एससी, एसटी और ओबीसी की सीट पर ओबीसी ही लड़ सकता है। लेकिन अनारक्षित 50.5 प्रतिशत सीटों पर सभी वर्ग लड़ते हैं और आज भी 70 प्रतिशत टॉप रैंक वहीं से आती हैं।

अब सवाल है - 75 साल बाद क्या बराबरी आ गई? आंशिक रूप से हां। आरक्षण से गांव का पहला आइएएस, डॉक्टर और प्रोफेसर बना। पर आंकड़े दूसरा सच बताते हैं। देश की टॉप 500 कंपनियों में एससी/एसटी/ओबीसी का नेतृत्व 5 प्रतिशत से भी कम है। उच्च न्यायपालिका और राष्ट्रीय मीडिया में आज भी वही वर्ग हावी है जिसके पास 3000 साल से शिक्षा थी। NFHS के आंकड़े कहते हैं कि एससी/एसटी की औसत आय सामान्य वर्ग से आधी है।

सबसे बड़ा प्रमाण सड़क और अदालत से मिलता है। 14 मई 2015 को डांगावास, नागौर में जमीन विवाद में 5 दलित मेघवाल और 1 विरोधी पक्ष के गोसाई सहित 6 लोग मारे गए। 11 साल बाद 5 अगस्त 2026 को ट्रायल कोर्ट ने सभी 40 आरोपियों को बरी कर दिया। सवाल उठता है - अगर कोई हत्यारा नहीं, तो 6 लोग मरे कैसे? 2023 में जालौर में 9 साल के दलित बच्चे को मटकी से पानी पीने पर पीट-पीट कर मार दिया गया। 2022 में बीकानेर में एक एससी युवक की सिर्फ मूंछ रखने पर हत्या हुई। 2020 में हाथरस में दलित बेटी से बलात्कार के बाद रात में उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। 2022 में गुजरात में एक दलित दूल्हे को घोड़ी पर बैठने से रोकने के लिए हमला हुआ। जहां कोर्ट में एक दशक बाद सब बरी हो जाएं और गांव में मटकी पर हत्या हो, वहां 'अब सब बराबर है' कहना सच से आंख चुराना है।

इसीलिए ईडब्ल्यूएस और एससी/एसटी/ओबीसी आरक्षण की तुलना नहीं हो सकती। ईडब्ल्यूएस कहता है "गरीब की कोई जाति नहीं होती"। एससी/ एसटी/ ओबीसी आरक्षण कहता है "अपमान की भी जाति होती है"। गरीबी का इलाज पैसा है, अपमान का इलाज प्रतिनिधित्व है। एक भूख मिटाता है, दूसरा इज्जत लौटाता है।

निष्कर्ष: ये भारत की प्रगतिशीलता है -आरक्षण देश को तोड़ने के लिए नहीं, जोड़ने के लिए है। यह उस शूद्र के पोते को डॉक्टर बनाने के लिए है जिसे कलम छूने नहीं दी गई थी। और उस गरीब सवर्ण के बेटे को मौका देने के लिए है जो फीस के अभाव में पढ़ाई छोड़ रहा है।

सदियों के जन्म-आधारित जाति तंत्र को संवैधानिक जनतंत्र में बदलना आसान नहीं था। आरक्षण उसी क्रांति का नाम है। ये कमजोरी नहीं, भारत की सबसे बड़ी ताकत और प्रगतिशीलता है। आरक्षण की आत्मा एक ही वाक्य में है- "बीते कल का न्याय और आने वाले कल का अवसर"। जब तक दोनों साथ नहीं चलेंगे, "सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रतिनिधित्व" का सपना अधूरा रहेगा।

-मदन सिंह काला,
पूर्व आई.ए.एस अधिकारी

राशिफल मंगलवार 11 अगस्त, 2026

पंडित अनिल शर्मा

सावन मास, कृष्ण पक्ष, चतुरदशी तिथि, मंगलवार, विक्रम संवत 2083, पुनर्वसु नक्षत्र दिन 10:10 तक, सिद्धि योग सायं 6:52 तक, विष्टि करण दिन 3:25 तक, चन्द्रमा कर्क राशि में संचार करेगा।

ग्रह स्थिति: सूर्य-कर्क, चन्द्रमा-कर्क, मंगल-मिथुन, बुध-कर्क, गुरू-कर्क, शुक्र-कन्या, शनि-मीन राहु-कुम्भ, केतु-सिंह

आज भद्रा दिन 3:25 तक रहेगी। आज गुरू उदय पूर्व दिन 3:00 पर होगा। आज मास शिवरात्रि, मंगल गौरी पूजा है।

श्रेष्ठ चौघड़िया: चर 9:16 से 10:54 तक, लाभ-अमृत 10:54 से 2:10 तक, शुभ 3:48 से 5:26 तक।

राहूकाल: 3:00 से 4:30 तक। सूर्योदय 6:00, सूर्यास्त 7:04

मेष

घर-परिवार में सुख-सुविधाओं में वृद्धि होगी। परिवार में अतिथियों के आगमन से उत्सव जैसा माहौल रहेगा। आज व्यावसायिक कार्यों से संबंधित यात्रा संभव है।

वृष

मित्रों/रिश्तेदारों के सहयोग से वर्तमान में चल रही परेशानियां दूर होने लगेंगी। घर-परिवार में अतिथियों का आगमन बना रहेगा। व्यावसायिक कार्यों में प्रगति होगी। व्यावसायिक आय में वृद्धि होगी।

मिथुन

व्यावसायिक कार्यों के संबंध में उचित सोच-विचार हो सकता है। नौकरीपेशा व्यक्तियों को मानसिक तनाव रहेगा। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। आय में वृद्धि होगी।

कर्क

व्यावसायिक कार्यों से संबंधित यात्रा संभव है। नौकरीपेशा व्यक्तियों को अतिरिक्त जिम्मेदारी मिल सकती है। आर्थिक स्थिति आज ठीक रहेगी। संभावित धन प्राप्त होगा। आज मानसिक तनाव दूर होगा।

सिंह

घर-गृहस्थी के खर्चों में अनावश्यक वृद्धि हो सकती है। आज धन हानि का भय बना रहेगा। आज पारिवारिक कार्यों के कारण भागदौड़ रहेगी। मन में असंतोष बना रहेगा।

कन्या

आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। आय में वृद्धि होगी। अटका हुआ धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक कार्यों में प्रगति होगी। परिवार में सुख-सुविधाओं में वृद्धि होगी।

तुला

व्यावसायिक कार्यों पर ध्यान देना ठीक रहेगा। अटके हुए कार्य सुगमता से बनने लगेंगे। नवीन कार्य योजना का क्रियान्वयन होगा। आज व्यावसायिक आय में वृद्धि होगी।

वृश्चिक

नवीन कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होंगे। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। परिवार में शुभ-मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। धार्मिक स्थान की यात्रा संभव है।

धनु

चन्द्रमा अष्टम भाव में शुभ नहीं है। शुभ कार्यों में व्यवधान हो सकता है। आवश्यक कार्यों में विलम्ब हो सकता है। आज बनते कार्य बिगड़ सकते हैं। यात्रा में परेशानी हो सकती है।

मकर

परिवार में आपसी सहयोग-समन्वय बना रहेगा। आपसी सहयोग से महत्वपूर्ण कार्य एवं धार्मिक-सामाजिक समारोह सम्पन्न हो सकते हैं। व्यावसायिक अड़चनें दूर होने लगेंगी।

कुंभ

विवादित मामलों से राहत मिल सकती है। अस्त-व्यस्त दिनचर्या में सुधार होगा। अटके कार्य बनने लगेंगे। अनहोनी की आशंका से बना हुआ मन का भय समाप्त होगा। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

मीन

व्यावसायिक कार्यों में उचित सफलता मिल सकती है। व्यावसायिक संपर्क बनेंगे। नौकरीपेशा व्यक्तियों का प्रभाव-प्रभुत्व बढ़ेगा। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। आय में वृद्धि होगी।